न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– बिन्दुबाला राजावत आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या. 81/2019

किस्म :– प्रार्थना पत्र

दायर दिनांक : 02.09.2019

निर्णय दिनांकः 06.05.2026

अनवान

1– बालु पिता नारू जाति जाट, निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

प्रार्थी

बनाम

1. पुरणमल पिता रतनलाल जाति जाट, निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील रेलमगरा
2– राहुल पिता रतनलाल जाति जाट, निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील रेलमगरा
3– कमला पति रतनलाल जाति जाट, निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील रेलमगरा
4– मगनी पत्नि चतरभुज जाति जाट, निवासी लक्ष्मीपुरा, तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 251,ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी अधिवक्ता– सुरेश चन्द्र चौधरी

प्रतिवादीगण – शांतिलाल जाट

निर्णय

प्रार्थी की ओर से जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम लक्ष्मीपुरा, तहसील क्षेत्र रेलमगरा में प्रार्थी के स्वामित्व आधिपत्य की आराजी संख्या 299/113 रकबा 1–09 एक बिघा नो बिस्वा स्थित है। प्रमाण में जमाबंदी की प्रमाणित प्रति पेश है। यह कि प्रार्थी की आराजी संख्या 299/113 के पूर्व दिशा में विपक्षीगण की आराजी संख्या 113 रकबा 1–01 एक बिघा एक बिस्वा स्थित है। एवं विपक्षीगण की आराजी संख्या 113 के सटमा पूर्व दिशा में उत्तर से दक्षिण ग्राम लक्ष्मीपुरा से सरवडिया खेडी जाने वाला मुख्य रास्ता स्थित है। प्रमाण में जमाबंदी व नक्शाट्रेस की नकल साथ संलग्न है। यह कि प्रार्थी अपनी आराजी संख्या 299/113 में आने जाने हल, बैल, बैलगाड़ी, ट्रैक्टर इत्यादि लाने ले जाने एवं काश्त करने हेतु ग्राम लक्ष्मीपुरा से सरवंडिया खेड़ी जाने वाले मुख्य रास्ते से होकर विपक्षीगण की आराजी संख्या 113 के पूर्वी भाग से प्रवेश कर विपक्षीगण की आराजी संख्या 113 के दक्षिणी पाली के सहारे सहारे होते हुए पूर्व से पश्चिम की ओर अपनी आराजी संख्या 299/113 में प्रवेश कर रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग कर हल, बैल, बैलगाड़ी ट्रैक्टर इत्यादि काश्त करने हेतु साधन अपने पूर्वजों के समय से ही लाता ले जाता चला आ रहा था। उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग प्रार्थी अपने पूर्वजों के समय से निरन्तर निर्विघ्न रूप से साधिकारपूर्वक करता चला आ रहा था। यह कि प्रार्थी व विपक्षीगण के पूर्वज आपस में एक ही परिवार के व्यक्ति थे जिससे प्रार्थी व विपक्षीगण की उक्त भूमियां पूर्व में संयुक्त खातेदारी की भूमियां थी। किन्तु विभाजन होने के बाद भी प्रार्थी अपने हिस्से की आराजी संख्या 299/113 में आने जाने हेतु विपक्षीगण

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

की आराजी संख्या 113 की दक्षिणी पूर्वी पाली से होकर ही अपने हल, बैल, बैलगाड़ी ट्रैक्टर इत्यादि लाता ले जाता रहा, किन्तु धीरे धीरे विपक्षीगण के मन में बदनीयत उत्पन्न हो गई, और जिस जगह से होकर प्रार्थी अपनी आराजी संख्या 299/113 में आता जाता था उस जगह पर विपक्षीगण ने अवैधानिक तरीके से थोर बाड़ कर मार्ग को बंद कर दिया है। जिससे प्रार्थी का अपनी आराजी संख्या 299/113 में आना जाना बंद हो गया, जिससे प्रार्थी को अपनी आराजी संख्या 299/113 के उपयोग उपभोग से वंचित होना पड़ रहा है। यह कि विपक्षीगण की आराजी संख्या 113 में होकर जाने वाला रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने से विपक्षीगण के मन में प्रार्थी के प्रति बदनीयत उत्पन्न हो गई और विपक्षीगण की आराजी की दक्षिणी पूर्वी पाली से होकर जाने वाला रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होने का नाजायज फायदा उठाकर जबरन प्रार्थी को उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग में व्यावधान, बाधा, रुकावट कारित कर रहे है तथा प्रार्थी को जबरन अपनी आराजी संख्या 299/113 के उपयोग उपभोग कृषि कार्य करने में रास्ते में आने जाने हेतु रुकावट, बाधा कारित करते है तथा प्रार्थी को अपनी आराजी संख्या 299/113 में आने जाने हेतु उक्त कदीमी रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर विद्यमान नही है। विपक्षीगण द्वारा उक्त रास्ते को जबरन बन्द कर दिया है। जिससे प्रार्थी अपने खेतों की हंकाई बुवाई नही कर पा रहा है। तथा विपक्षीगण कहते है कि रिकॉर्ड में कोई रास्ता नही हैं इसलिये हम तुम्हे हमारे खेत में से होकर नही जाने देंगे, जबकि प्रार्थी के खेत में जाने का यही एकमात्र नजदीकी रास्ता है। यह कि प्रार्थी को अपनी आराजी संख्या 299/113 में आने जाने हल, बैल, बैलगाड़ी, ट्रैक्टर इत्यादि लाने ले जाने एवं काश्त करने हेतु लक्ष्मीपुरा से सरवडिया खेड़ी जाने वाले मुख्य रास्ते से होकर प्रार्थी विपक्षीगण की आराजी संख्या 113 की दक्षिणी पूर्वी पाली के सहारे सहारे होते हुए प्रार्थी अपनी आराजी संख्या 299/113 में प्रवेश करता है जो उक्त रास्ता 15 फीट चौड़ा सम्पूर्ण लम्बाई के रास्ते की सख्त आवश्यकता है जिस निमित्त प्रार्थी की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। यह कि प्रार्थी को उक्त रास्ते की सख्त आवश्यकता है तथा उक्त रास्ते के बिना प्रार्थी अपने खेत के उपयोग उपभोग से वंचित हो रहा है न्यायालय आप द्वारा उक्त रास्ते के एवज में उक्त 15 फीट चौड़ाई एवं सम्पूर्ण लम्बाई के रास्ते का जो भी प्रतिकर न्यायालय आप द्वारा विहित किया जायेगा उसे प्रार्थी तुरन्त अदा करने को तैयार एवं तत्पर है। उक्त रास्ते को प्रार्थी प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 तीन में वर्णित किया गया है उसे राजस्व रिकॉर्ड एवं नक्षा ट्रेस में रास्ते के रूप में इन्द्राज कराया जाना न्यायहित में नितान्त आवश्यक है। जिस निमित्त प्रार्थी की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र पेश है। यह कि विपक्षी प्रार्थी को लगातार रास्ते में बाधा कारित कर रहे है तथा आज से एक माह पूर्व प्रार्थी उक्त रास्ते में से होकर अपनी फसल की बुवाई हेतु जाने लगा तो विपक्षी ने उक्त रास्ते को अवैधानिक रूप से अवरोध कर बन्द कर प्रार्थी के साथ लड़ाई झगड़ा किया तथा प्रार्थी को उसकी आराजी में आने जाने एवं हल, बैल, बैलगाड़ी ट्रैक्टर एवं खेत की पैदावार लाने ले जाने हेतु विपक्षीगण द्वारा उनकी आराजी के पश्चिमी पाली के सहारे विद्यमान रास्ते से होकर गुजरने से मना कर देने से प्रार्थना पत्र का हेतुक उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। यह कि वादग्रस्त जायदाद न्यायालय आपके क्षेत्राधिकार में होने से प्रार्थना पत्र का श्रवणअधिकार एवं क्षेत्राधिकार न्यायालय आपको है।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी को अपनी आराजी संख्या 299/113 में आने जाने हल, बैल, बैलगाड़ी, ट्रैक्टर इत्यादि लाने ले जाने एवं काश्त करने हेतु लक्ष्मीपुरा से सरवडिया खेड़ी जाने वाले मुख्य रास्ते से होकर विपक्षीगण की आराजी संख्या 113 की दक्षिणी पश्चिमी पाली के सहारे सहारे प्रार्थी अपनी आराजी संख्या 299/113 में प्रवेश करता है जो उक्त रास्ता 15 फिट चौड़ा सम्पूर्ण लम्बाई में रास्ता विपक्षी से दिलाये जाने का आदेश फरमावें। उक्त रास्ते की एवज में न्यायालय आप द्वारा जो भी प्रतिकर नियमानुसार निश्चित किया जाता है वो प्रार्थी अदा करने को तैयार है तथा प्रार्थीगण द्वारा प्रतिकर अदा करने के पश्चात उक्त रास्ते को राजस्व रेकार्ड एवं नक्षा ट्रेस में इन्द्राज कराया जावें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किए गये। विपक्षीगण की ओर से जरिये अधिवक्ता जवाब प्रस्तुत है कि प्रार्थनापत्र की कलम संख्या एक का विवरण स्वीकार है। यह कि प्रार्थनापत्र की कलम संख्या 2 के विवरण में प्रार्थी की आराजी संख्या 299/113 के पूर्व दिशा में आराजी संख्या 112 भी स्थित है। यह कि प्रार्थनापत्र की कलम संख्या तीन का विवरण गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थी अपनी आराजी संख्या 299/113 में आने–जाने, हल, बैल, बैलगाड़ी, ट्रैक्टर इत्यादि लाने ले जाने एंव काश्त करने हेतु ग्राम लक्ष्मीपुरा से सरवडिया खेड़ी जाने वाले मुख्य रास्ते से होकर विपक्षीगण की आराजी संख्या 113 के पुर्वी भाग से प्रवेश कर विपक्षीगण की आराजी संख्या 113 के दक्षिणी पाली के सहारे–सहारे होते हुए पुर्व से पश्चिम की ओर अपनी आराजी संख्या 299/113 में नहीं आते–जाते है न ही इस प्रकार का रास्ता होकर प्रार्थी उपयोग–उपभोग रास्ते का पुर्वजों के समय से कर रहा है। सारे कथन प्रार्थी ने मनगढन्त कहानी बनाकर गलत वर्णन किये है तथा प्रार्थी इस प्रकार के किसी रास्ते का उपयोग–उपभोग नहीं कर पुर्वजों के समय से निरन्तर, निर्विघ्न रुप से साधिकार पुर्वक नहीं करता चला आ रहा था बल्कि सच्चाई इस प्रकार है कि प्रार्थी अपनी आराजी संख्या 299/113 में लक्ष्मीपुरा से सरवडिया खेड़ी रास्ते से होकर आराजी संख्या 301/113 के उत्तर दिशा में जो रास्ता स्थित है वहाँ से होकर हजारी जी की आराजी संख्या 300/113 के पुर्वी भाग पर उत्तर से दक्षिण होकर प्रार्थी अपनी आराजी में प्रवेश कर वहाँ से प्रार्थी की आराजी के पूर्वी भाग पर दक्षिण से उत्तर होकर नहर के पुलिये पर होकर अपनी आराजी संख्या 206 में आता–जाता है यह रास्ता आपसी तौर पर छोड़ा गया है। व हमेशा ही यहाँ से आता–जाता है विपक्षी की आराजी संख्या 113 में प्रार्थी की आराजी संख्या 299/113 के लिये कोई रास्ता नहीं है। यह कि प्रार्थनापत्र की कलम संख्या 4 चार का विवरण में प्रार्थी एंव विपक्षीगण के पूर्वज आपस में एक ही परिवार के व्यक्ति होना स्वीकार है। किन्तु प्रार्थी की आराजी संख्या 299/113 में आने–जाने के लिये विपक्षीगण की आराजी संख्या 113 में होकर कोई रास्ता नहीं है न ही यहाँ कभी रास्ता रहा है न ही प्रार्थी विपक्षी की आराजी संख्या 113 में होकर कभी आया गया है विपक्षीगण के मन में कभी भी बदनीयत उत्पन्न नहीं हुई है। जब विपक्षी की आराजी संख्या 113 में प्रार्थी की आराजी संख्या 299/113 के लिये कोई रास्ता ही नहीं था तो उसे बंद करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। प्रार्थी अपनी आराजी संख्या 299/113 के उपयोग–उपभोग से वंचित नहीं हो रहा है क्योंकि प्रार्थी की आराजी के लिये रास्ता 300/113 की पूर्वी पाली

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

पर होकर जो आराजी संख्या 301/113 की पश्चिमी पाली के सहारे है वह रास्ता विद्यमान है। यह कि प्रार्थनापत्र की कलम संख्या 5 पांच का विवरण गलत होकर अस्वीकार है। जैसा कि ऊपर निवेदन किया जा चुका है कि विपक्षीगण की आराजी संख्या 113 में होकर प्रार्थी की आराजी संख्या 299/113 के लिये कोई रास्ता विद्यमान नहीं है तो रास्ते का उपयोग–उपभोग में व्यवधान, बाधा, रुकावट कारित करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है तथा प्रार्थी की आराजी संख्या 299/113 में आने–जाने हेतु कदिमी रास्ताध्वैकल्पिक रास्ता आराजी संख्या 300/113 व आराजी संख्या 301/113 के बिच में होकर विद्यमान है जो ऊपर निवेदन किया जा चुका है। यह कि प्रार्थनापत्र की कलम संख्या 6 छः का विवरण गलत होकर अस्वीकार है। विपक्षी की आराजी संख्या 113 की दक्षिणी पूर्वी पाली के सहारे–सहारे व आराजी संख्या 113 में 15 फीट चौड़ा रास्ता बाबत प्रार्थी को कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि आराजी संख्या 299/113 के लिये रास्ता आराजी संख्या 300/113 की पूर्वी पाली व आराजी संख्या 301/113 की पश्चिमी पाली के सहारे रास्ता विद्यमान है। यह कि प्रार्थनापत्र की कलम संख्या 7 सात का विवरण गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थी के लिये रास्ता जो जवाब में वर्णित किया वह रास्ता विद्यमान है ऐसी सूरत में 15 फीट चौड़ाई का रास्ता विपक्षी की आराजी संख्या 113 में होकर मांगने व राजस्व रेकॉर्ड व नक्षा ट्रेस में इन्द्राज कराने का कोई हक, अधिकार प्रार्थी को नहीं है प्रार्थी ने मनगढ़न्त कहानी बनाकर झूठा प्रार्थनापत्र पेश किया है जो चलने योग्य नहीं है। यह कि प्रार्थनापत्र की कलम संख्या 8 आठ का विवरण गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थी से विपक्षीगण ने कभी भी लड़ाई–झगड़ा नहीं किया न ही प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने के एक माह पूर्व प्रार्थी विपक्षी की आराजी से होकर निकलना चाहा जबकि प्रार्थी की आराजी के लिये रास्ता जवाब में जो आराजी संख्या 300/113 की पूर्वी पाली व 301/113 की पश्चिमी पाली पर होकर विद्यमान है। यह कि प्रार्थनापत्र की कलम संख्या 9, 10 का विवरण कानूनी है। प्रार्थी को प्रार्थना बिन्दु वाइंडस तरह की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। विशेष कथन यह कि प्रार्थी की आराजी संख्या 299/113 के लिये रास्ता हजारी जी की आराजी संख्या 300/113 व बद्रीलाल जी की आराजी संख्या 301/113 के बिच में होकर विद्यमान है जो रास्ता प्रार्थी की आराजी की पूर्वी पाली पर होकर नहर के पुलिये से होकर आराजी संख्या 206 तक व आगे तक जाता है इस बात का प्रमाण स्वयं खातेदार 300/113 के द्वारा दिनांक 19.12.2023 को समझौता किया उसमें भी स्वीकार किया है व जहाँ वैकल्पिक रास्ता मौजूद है तो नये सिरे से प्रार्थी रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है व विपक्षीगण की अपूरणीय क्षति कारित होगी जिसकी पूर्ती नकदी में संभव नहीं होगी एंव प्रार्थी ने गलत तथ्यों को आधार बनाकर प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है जो चलने योग्य नहीं है। तथा प्रार्थी ने पर्चा भी गलत बनवाया है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रकरण में तहसीलदार रेलमगरा के प्रासंगिक पत्र में अंकित ग्राम लक्ष्मीपुरा में भू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का से बाद जांच के रिपोर्ट ली गई जो बिन्दूवार निम्नानुसार है, कि प्रार्थी को प्रस्तावित रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है। मौके पर आराजी नम्बर 299/113 में जाने का कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नही है। प्रस्तावित रास्ता से आराजी नम्बर 113 का लम्बाई 48 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर कुल रकबा

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

0.0192 हैक्टेयर प्रभावित होगा। प्रस्तावित रास्ता में कोई फसल, पेड़, निर्माण नही है। मौके पर खोट जोत रखा है। प्रस्तावित रास्ता ग्रामीण रास्ते आराजी नम्बर 111 से मिलता है एवं निकटतम दूरी है। प्रस्तावित भूमि की डी०एल०सी० दर अनुसार गणना रिपोर्ट टी०आर०ए० शाखा से ली गई जिसके अनुसार वर्तमान प्रचलित डी०एल०सी० दर 13,47,000/– रूपये प्रति हैक्टेयर से रकबा 192 वर्गमीटर भूमि की दो गुणा राशि 51,800/– रूपये बनती है। मौके पर आराजी नम्बर 299/113 के दक्षिण में सिचाई विभाग की नहर है किन्तु आने–जाने का रास्ता मौजूद नही है।

प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया की प्रार्थी की आराजी मौजा ग्राम लक्ष्मीपुरा में स्थित हैं। उक्त आराजियात पर पूर्व से ही रास्ते के उपयोग–उपभोग में ली जा रही है। विपक्षीगण ने उक्त रास्ता बन्द कर दिया गया प्रार्थी की जमीन इस रास्ते के अलावा वैकल्पिक अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हैं। उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाया जाकर तरमीम कराने का आदेश प्रदान करावें। राजकीय शुल्क प्रार्थी अदा करने को तैयार है।

अप्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस में बताया कि प्रार्थी की आराजी संख्या 299/113 के लिये रास्ता हजारी जी की आराजी संख्या 300/113 व बद्रीलाल जी की आराजी संख्या 301/113 के बिच में होकर विद्यमान है जो रास्ता प्रार्थी की आराजी की पूर्वी पाली पर होकर नहर के पुलिये से होकर आराजी संख्या 206 तक व आगे तक जाता है इस बात का प्रमाण स्वयं खातेदार 300/113 के द्वारा दिनांक 19.12.2023 को समझौता किया उसमें भी स्वीकार किया है व जहाँ वैकल्पिक रास्ता मौजूद है तो नये सिरे से प्रार्थी रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है व विपक्षीगण की अपूरणीय क्षति कारित होगी जिसकी पूर्ती नकदी में संभव नहीं होगी एंव प्रार्थी ने गलत तथ्यों को आधार बनाकर प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है जो चलने योग्य नहीं है। तथा प्रार्थी ने पर्चा भी गलत बनवाया है।

उभय पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज तहसीलदार रेलमगरा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब एंव बहस के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251'क' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार किया जाता हैं पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 06.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(बिन्दुबाला राजावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा